भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1020

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों का वेतन**

1020. श्री प्रताप सिंह बाजवाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसे मामले हैं जिनमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में अपना देय वेतन प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक अपना वेतन निर्बाध रूप से प्राप्त करें, क्या कार्रवाई की गई है/क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) से (ग): केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के कार्यान्‍वयन हेतु माध्‍यम के रूप में तैयार किया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7(1) में उल्‍लेख किया गया है कि केन्‍द्र और राज्‍य दोनों की अधिनियम के प्रावधानों हेतु धन उपलब्‍ध कराने की संयुक्‍त जिम्‍मेदारी होगी। धारा 7(2) में उल्‍लेख है कि अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु प्राक्‍कलन तैयार किया जाएगा और परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) परिव्‍यय को इस उप-धारा के अनुसरण में तैयार अनुमान माना जाएगा। इसके अतिरिक्‍त, धारा 7(3) में उल्‍लेख किया गया है कि केन्‍द्र सरकार राज्‍य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में राजस्‍व का व्‍यय हेतु यथा-निर्धारित प्रतिशत उपलब्‍ध कराएगी जबकि धारा 7(5) में उल्‍लेख किया गया है कि राज्‍य सरकार, केन्‍द्र सरकार द्वारा राज्‍य सरकार को उपलब्‍ध कराई गई धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्‍वयन हेतु धनराशि उपलब्‍ध कराने के लिए उत्‍तरदायी होगी।

आरटीई अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार राज्‍यों तथा संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में व्‍यय का परिव्‍यय अथवा अनुमान पीएबी द्वारा उनकी वार्षिक कार्य योजना व्‍यय बजट (एडब्‍ल्‍यूपीएंडबी) के आधार पर योजना के कार्यक्रमों एवं वित्‍तीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा जिसमें केन्‍द्र एवं राज्‍य दोनों का भाग शामिल होगा। अनुमोदित परिव्‍यय केन्‍द्र एवं राज्‍य के बीच मौजूदा धनराधि बंटवारा पद्धति 60:40 (पूर्वोत्‍तर राज्‍यों तथा 03 हिमालयीन राज्‍यों के लिए 90:10) के अनुसार संविभाजित किया जाएगा। संघ राज्‍य क्षेत्रों को केन्‍द्र सरकार का 100 प्रतिशत अंशदान उपलब्‍ध कराया जाता है। केन्‍द्र सरकार के अंश की निर्मुक्ति विभिन्‍न किश्‍तों में की जाती है बशर्ते कि अन्‍य बातों के साथ-साथ बजट प्राक्‍कलन/संशोधित बजट अनुमादन स्‍तर पर बजटीय संसाधन उपलब्‍ध हों। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत स्‍कीम के विभिन्‍न घटकों के लिए बजटीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है जिसमें शिक्षकों के वेतन का भुगतान इत्‍यादि भी शामिल है। तथापि, केन्‍द्र सरकार के अंश की कार्यक्रम/घटक-वार निर्मुक्ति नहीं की जाती। इसके अतिरिक्‍त, जिन शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया उनका केन्‍द्रीय लेखा-जोखा नहीं रखा जाता।

भारत सरकार द्वारा 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशें स्‍वीकार करने के पश्‍चात राज्‍य सरकारों को धन अंतरण में वृद्धि हुई है यह सिविल केन्‍द्रीय कर प्राप्ति के 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। धन अंतरण में वृद्धि के साथ राज्‍य आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7(5) के तहत राज्‍यों को प्रदत्‍त कार्यो एवं दायित्‍वों के निर्वहन हेतु सर्व शिक्षा अभियान को और अधिक धनराशि आवंटित करने पर विचार कर सकते हैं।

**\*\*\*\*\***